रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 1972/आश्विन 12, 1894

No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 1972/ASHAVINA 12, 1894

CENTRAL SECRETARIAT
23 1972
GOVT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd October 1972

SUBJECT.—*Import of (i) Dry Fruits [S. No. 21(a)(ii)/IV], (ii) Asafoetid [S. No. 31(b)/V], (iii) Cumin Seeds [S. No. 37/IV], (iv) Medicinal Herbs [S. No. 87-109/IV] from Afghanistan from 1st March, 1972 to 28th February, 1973.*

No. 144-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 13 of Public Notice No. 44-ITC(PN)/72, dated 20th March, 1972, wherein it was stated that no further C.C.P. for import of dry fruits will be issued to an applicant unless documentary evidence is produced to the satisfaction of the concerned licensing authority that he had fulfilled his counter-export obligation within a period of three months of the date of issue of the earlier C.C.P. to the extent of not less than eighty per cent,

in the prescribed proportion as between Schedule 'B-I' and 'B-II' items, i.e. not less than fifty per cent of the exports should have consisted of Schedule 'B-II' items.

2. On a review of the position it has been decided that the time for fulfilment of counter-export obligation in respect of C.C.Ps, granted in terms of the aforesaid Public Notice may be deemed to have been extended from three months to six months. No endorsement to this effect is necessary to be made on the C.C.Ps by the licensing authorities concerned. The Reserve Bank of India/Customs authorities will allow exports to Afghanistan within the extended date on the basis of this Public Notice, if the exports are otherwise in order.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1972

विषय :— 1.3.1972 से 28.2.1973 तक अफगानिस्तान से (1) सूखे फल (क्रम सं० 21(ए)(2)/4),(2) हींग (क्रम सं० 31 (बी)/5, (3) जीरा बीज (क्रम सं० 31/4),4) औषधीय जड़ी बूटियों का आयात।

संख्या :144 आई० टी० सी० (पी०एन० /72 सार्वजनिक सूचना सं० 44 आई० टी०सी० (पी एन)/72, दिनांक 20 मार्च, 1972 की कंडिका 13 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह बतलाया गया था कि एक आवेदक को सूखे फलों के आयात के लिए अगला सीमाशुल्क निकासी परमिट तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक संबन्ध लाइसेंस प्राधिकारी को उसकी संतुष्टि के लिए इस संबंध में ऐसे और साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जाता कि उसने अनुसूची 'बी-1' और अनुसूची 2 'बी' के बीच की मदों का निर्धारित अनुपात में अर्थात् किए गए निर्यातों का 50% से कम अनुसूची 2-'बी' की मदों का निर्यात नहीं होना चाहिए—पहले के सीमाशुल्क निकासी परमिट के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर 80% से कम के प्रति-निर्यात आभार की पूर्ति नहीं की थी।

2, स्थिति की पुनरीक्षा कर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिटों के संबंध में प्रति-निर्यात आभार को पूरा करने के लिए तीन माह की दी गई अवधि को छ. माह तक बढ़ाया गया समझा जाए। इस संबंध में सीमाशुल्क

निकासी परमिटों पर संबंद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि निर्यात अन्यथा ठीक हैं, तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया / सीमाशुल्क प्राधिकारी अफगानिस्तान को निर्यात करने के लिए इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि तक अनुमति देंगें।

एम० एस० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972